भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 804

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार

804. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गरीब बच्चों के समग्र विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षिक और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के अपने लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन व दीव सहित राज्य-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विभिन्न भागों में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति को सुधारने आौर उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्तमान में सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) : 15वें वित्त आयोग में, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण संबंधी सहायता पर बल दिया जाता है; बाल्यवस्था पूर्व देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) [3-6 वर्ष]; मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना को पुनर्गठित किया गया है।

मिशन पोषण 2.0 में मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम)/गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) का उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से ठिगनापन और एनीमिया के अलावा कमजोरी और कमवज़न के प्रसार को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पोषक तत्वों और प्रदायगी में कार्यनीतिक बदलाव के माध्यम से और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को पोषित करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए अभिसारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, कमवजन, ठिगनेपन अथवा दुबलेपन जैसे कुपोषण संकेतकों में लगातार सुधार हुआ है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है, जबकि दुबलापन 21.0% से घटकर 19.3% हो गया है और कमवजन की व्यापकता 35.8% से घटकर 32.1% हो गई है।

जून 2024 के लिए पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, 6 साल से कम उम्र के लगभग 8.57 करोड़ बच्चों को मापा गया, जिनमें से 35% ठिगने पाए गए और 17% कमवजन वाले पाए गए और 5 साल से कम उम्र के 6% बच्चे दुबले पाए गए। पोषण ट्रैकर से प्राप्त बच्चों में कमवजन और दुबलेपन का स्तर एनएफएचएस 5 द्वारा प्रस्तावित स्तरों की तुलना में बहुत कम है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : वित्त वर्ष 2023-24 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के लिए 2174118.74 लाख रुपये जारी किए गए जिसमें से 860209.37 लाख रुपये इस योजना के सामान्य घटक (मानदेय, वर्दी, चिकित्सा किट, प्रशिक्षण इत्यादि) के लिए जारी किए गए। इस योजना के सामान्य घटक के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

देश भर में मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। पंजीकृत लाभार्थियों की तुलना में देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया कि वे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को नज़दीकी प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें। इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को एक

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं वाले पूर्णरूपेण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन करने का निर्णय लिया है।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए लाभार्थियों को बेहतर पोषण प्रदायगी और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाडी केन्द्रों का 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र की दर से सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन किया जाना है । अब तक सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नयन के लिए 92108 आंगनवाड़ी स्वीकृत किए गए हैं। उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

सरकार ने देश भर में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कौशल विकास के लिए 10 मई, 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल शुरू की है ताकि छह साल से कम उम्र के बच्चों को ईसीसीई और पोषण सेवा प्रदान करने की उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। जून 2024 तक, पोषण भी पढाई भी के तहत, देश भर में 11,364 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और अतिरिक्त संसाधन व्यक्ति) को प्रशिक्षित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले मनरेगा घटक के तहत, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 5 वर्ष की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लागत मानकों को संशोधित करके 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत 8.00 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (अथवा किसी अन्य संयुक्त निधियां) के तहत 2.00 लाख रुपये तथा एमडब्ल्यूसीडी प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 2.00 लाख रुपये निर्धारित लागत भागीदारी अनुपात में केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य साझा किया जाएगा।

****

अनुलग्नक-।

"आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार" विषय पर दिनांक 26.07.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दिनांक 30.06.2024 तक पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12905
2.	आंध्र प्रदेश	3272799
3.	अरुणाचल प्रदेश	98460
4.	असम	3336585
5.	बिहार	10923272
6.	छत्तीसगढ़	2714583
7.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	39772
8.	दिल्ली	688836
9.	गोवा	57683
10.	गुजरात	3676203
11.	हरियाणा	2009647
12.	हिमाचल प्रदेश	581853
13.	जम्मू एवं कश्मीर	838143
14.	झारखंड	3464451
15.	कर्नाटक	3928840
16.	केरल	2188686
17.	लद्दाख	18481
18.	लक्षद्वीप	4514
19.	मध्य प्रदेश	7684764
20.	महाराष्ट्र	7011640
21.	मणिपुर	324410
22.	मेघालय	438884
23.	मिजोरम	138669
24.	नागालैंड	136165
25.	ओडिशा	4246696
26.	पुद्दुचेरी	36344
27.	पंजाब	1600841
28.	राजस्थान	4450703

29.	सिक्किम	42025
30.	तमिलनाडु	4066408
31.	तेलंगाना	2080636
32.	त्रिपुरा	365995
33.	यूटी-चंडीगढ़	44220
34.	उत्तर प्रदेश	22554563
35.	उत्तराखंड	845448
36.	पश्चिम बंगाल	8710855
	कुल	**10,26,34,979**

****

अनुलग्नक-II

"आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार" विषय पर दिनांक 26.07.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

इस योजना के सामान्य घटक के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी निधियों का राज्यवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सामान्य घटक के तहत जारी निधियां**
1	आंध्र प्रदेश	32933.86
2	बिहार	78384.98
3	छत्तीसगढ़	21426.96
4	गोवा	751.39
5	गुजरात	24154.1
6	हरियाणा	11440.13
7	झारखंड	17227.11
8	कर्नाटक	40994.39
9	केरल	13050.47
10	मध्य प्रदेश	54442.08
11	महाराष्ट्र	51072.35
12	ओडिशा	33936.17
13	पंजाब	14232.54
14	राजस्थान	38135.32
15	तमिलनाडु	23711.97
16	तेलंगाना	23894.64
17	उत्तर प्रदेश	88619.82
18	पश्चिम बंगाल	45559.91
19	दिल्ली	5136.1
20	पुद्दुचेरी	143.38
21	हिमाचल प्रदेश	18598.33
22	जम्मू एवं कश्मीर	36801.72
23	उत्तराखंड	18863.65
24	अंडमान और निकोबार	788.31
25	चंडीगढ़	661.05
26	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	383.01

27	लद्दाख	1260.72
28	लक्षद्वीप	93.31
29	अरुणाचल प्रदेश	12049.4
30	असम	108345.44
31	मणिपुर	9040.29
32	मेघालय	7432.75
33	मिजोरम	3716.63
34	नागालैंड	9709.02
35	सिक्किम	2376.62
36	त्रिपुरा	10841.45
कुल		**860209.37**

अनुलग्नक-III

"आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति में सुधार" विषय पर दिनांक 26.07.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन के लिए स्वीकृत कुल आंगनवाड़ी केंद्र**
1	अंडमान और निकोबार	86
2	आंध्र प्रदेश	2868
3	अरुणाचल प्रदेश	100
4	असम	4778
5	बिहार	7116
6	छत्तीसगढ़	6490
7	गोवा	24
8	गुजरात	1250
9	हरियाणा	10
10	हिमाचल प्रदेश	125
11	जम्मू एवं कश्मीर	136
12	झारखंड	6850
13	कर्नाटक	278
14	केरल	1960
15	मध्य प्रदेश	11706
16	महाराष्ट्र	1739
17	मणिपुर	30
18	मेघालय	108
19	मिजोरम	1088
20	नागालैंड	149
21	ओडिशा	7084
22	पुद्दुचेरी	65
23	पंजाब	100
24	राजस्थान	553
25	सिक्किम	435
26	तमिलनाडु	6390
27	तेलंगाना	4029
28	त्रिपुरा	445
29	उत्तर प्रदेश	20194
30	उत्तराखंड	563
31	पश्चिम बंगाल	5359
कुल		**92108**